संक्षिप्त विवरणी

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–14575/2024 जितेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.10.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा दिनांक 17.10.2024 को समर्पित अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

17/12/2024

आदेश

संवेदक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, पिता–श्री रामाकान्त सिंह, पता–वार्ड संख्या–16 ग्राम–बिहट, नगर परिषद् खेमकरनपुर, पो0+थाना–बरौनी, जिला–बेगूसराय एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के अधीन MMGSY(SC) योजनान्तर्गत Middle School Genharpur (S06) to Pirparpati Tola पथ (एकरारनामा संख्या 04SBD/MMGSY (SC)/2021-22) में उपलब्ध भूमि पर किये गये निर्माण कार्य का लम्बित राशि का भुगतान के साथ SD एवं अन्य की गयी कटौती की राशि का भुगतान देय तिथि से भुगतान कि वास्तविक तिथि तक 18% की दर से ब्याज सहित भुगतान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–14575/2024, जितेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किये जाने से संबंधित है।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 05.10.2024 को पारित अन्तिम न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

3. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner has stated that the petitioner may be permitted to give a representation duly ventilating his grievance along with the necessary documents before the Respondent No. 2, i.e., the Additional Chief Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar and the Respondent No. 2 may be directed to consider the same in accordance with law.

4. Learned counsel appearing on behalf of the respondents has stated that he has no objection if a direction is given to the petitioner to give a representation before the Respondent No. 2 and the Respondent No. 2 may be directed to consider the said representation in accordance with law.

5. Having regard to the above made submissions, the present writ petition is disposed of at the stage of admission. The petitioner is permitted to give a representation ventilating his grievance to the Respondent No. 2, i.e., the Additional Chief Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar within a period of three weeks from today. On receipt of the said representation, the Respondent No. 2 shall consider the same strictly in accordance with law.

6. It is needless to mention that before passing any order the petitioner shall be given an opportunity of hearing. Any order passed shall be communicated to the petitioner. In case the authorities comes to the conclusion that the claim made by the petitioner is genuine, they shall make necessary arrangement for payment to the petitioner. However in case the authority come to the conclusion that the representation of the petitioner does not merit any consideration, the authorities shall pass a reasoned order giving the reason for rejecting the claim. The entire exercise

shall be completed as expeditiously as possible preferably within a period of twelve weeks from the date of receipt of a copy of this order.

7. With the above directions, the present writ petition stands disposed off.

याचिकाकर्त्ता/संवेदक जितेन्द्र सिंह द्वारा संदर्भित वाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–14575/2024, जितेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 05.10.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपने अभ्यावेदन (दिनांक 17.10.2024) द्वारा सूचित किया गया है कि "कार्य प्रमंडल, बेगूसराय अन्तर्गत MMGSY(SC) योजनान्तर्गत Middle School Genharpur (S06) to Pirparpati Tola (एकरारनामा संख्या– 04-SBD/MMGSY (SC)/2021-22) पथ का निर्माण कार्य उन्हें आवंटित किया गया था। उक्त पथ का कार्य इनके द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा मापी पुस्त संख्या–1975 में मापी भी दर्ज की गयी है। जिस पर सहायक अभियंता का हस्ताक्षर हो चुंका है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा C&P किया गया है। इनके द्वारा वर्णित तथ्यों के आलोक मापी पुस्त में अंकित राशि का भुगतान ब्याज सहित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।"

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक 1494 अनु0 दिनांक 13.11.2024 द्वारा उपलब्ध करये गये प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के अधीन MMGSY(SC) योजनान्तर्गत Middle School Genharpur (S06) to Pirparpati Tola (एकरारनामा संख्या 04SBD/MMGSY (SC)/2021-22) पथ की लम्बाई 0.800 कि0मी0, एकरारनामा की राशि 53.33654 लाख, एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि **13.07.2021** तथा कार्य समाप्ति की तिथि **12.04.2022**, प्रथम समयवृद्धि के अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि **16.07.2023**, समयवृद्धि का कारण जमीन विवाद, 1st on A/C Bill से लेकर 4th and Final Bill तक कुल भुगतान की गई राशि– ₹14.75807 लाख, अंतिम विपत्र तैयार करने की तिथि– 16.07.2023 एवं MIS पर कार्य पूर्णता की तिथि– 16.07.2023 है।

उक्त योजना MMGSY (SC) अन्तर्गत मिडिल स्कूल गेन्हरपुर से पीपरपांती टोला तक स्वीकृत है, जिसकी स्वीकृत लम्बाई 800 मी० है। इस स्वीकृत आरेखन पर मिडिल स्कूल गेन्हरपुर से लेकर 557 मी० पथांश का निर्माण स्थानीय निकाय द्वारा करा दिया गया तथा शेष 243 मी० पथांश का निर्माण संवेदक द्वारा किया गया है और इस किये गये कार्य का भुगतान संवेदक को किया जा चुका है। संवेदक द्वारा स्वीकृत आरेखन पर किये गये कार्य से लक्षित बसावट को सम्पर्कता प्राप्त हो गई। परिणामस्वरूप, उक्त योजना को Foreclose करते हुए पूर्ण मान लिया गया और उस पथांश में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।

स्वीकृत लंबाई के शेष 557 मी० पथांश में से 210 मी० लंबाई में संवेदक द्वारा स्वीकृत आरेखन से काफी हटकर रैयती भूमि पर मिट्टी कार्य, GSB एवं WBM-III का कार्य किया गया है। इस परिवर्तित आरेखन पर कोई भी बसावट अवस्थित नहीं है और इसके चारों ओर कृषि योग्य रैयती भूमि का बड़ा भू–भाग है। इस परिवर्तित आरेखन पर कार्य करने हेतु सक्षम प्राधिकार से किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं है और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का आदेश किसी भी स्तर से निर्गत किया गया है। किया गया कार्य नियमानुकूल नहीं होने के कारण संवेदक को उस पथांश में आगे किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोक लगा दी गई। साथ ही, मापीपुस्त संख्या 1975 के पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक 1st on A/c Bill की प्रविष्टि की

गई है जिसमें कुल 570 मी० लंबाई में WBM-III तक के कार्य की प्रविष्टि की गई है जिस पर तत्कालीन कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का हस्ताक्षर है तथा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वारा Checked & Passed किया हुआ है अर्थात् 327 मी० लम्बाई में परिवर्तित आरेखन पर किये गये कार्य की प्रविष्टि की गई है। इस परिवर्तित आरेखन पर किये गये कार्य के भुगतान की मांग संवेदक द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में इनके पत्रांक 1570 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर (वर्तमान में कार्य अंचल, बेगूसराय) से दिशा निर्देश मांगी गई तथा इस आशय की सूचना प्रतिलिपि के माध्यम से मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गई है। संवेदक द्वारा परिवर्तित आरेखन पर किये गये कार्य के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा स्वीकृत आरेखन से हटकर अन्य आरेखन पर सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना पथ का निर्माण कार्य कराया गया है, जो एकरारनामा के प्रतिकुल है।

संदर्भित मामले में दिनांक **15.11.2024** को गयी सुनवाई में पारित आदेश के तहत सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना स्वीकृत/निर्धारित आरेखन से हटकर अन्य आरेखन पर कार्य कराये जाने के कारण संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को चिहिन्त कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने का निदेश दिया गया था।

तदालोक में विभागीय पत्रांक 2965 दिनांक 03.12.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय को उक्त पथ में स्वीकृत आरेखन से हटकर अन्य आरेखन में कार्य कराने वाले संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता का नाम एवं वर्त्तमान पदस्थापन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक 1607 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अपने प्रतिवेदन के माध्यम से श्री राम सेवक सिंह, (सेवानिवृत्त) कार्यपालक अभियंता, श्री चन्द्र भूषण कुमार, नियोजित सेवानिवृत्त, सहायक अभियंता (संविदा), श्री साहिल राजा, सहायक अभियंता एवं श्री अनुज कुमार सिंह नियोजित सेवानिवृत्त, कनीय अभियंता (संविदा) का नाम एवं वर्त्तमान पता उपलब्ध कराया गया।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 3076 दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्री राम सेवक सिंह, (सेवानिवृत्त) कार्यपालक अभियंता, विभागीय पत्रांक 3075 दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्री चन्द्र भूषण कुमार, नियोजित सेवानिवृत्त, सहायक अभियंता (संविदा) , विभागीय पत्रांक 3073 दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्री साहिल राजा, सहायक अभियंता एवं विभागीय पत्रांक 3074 दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्री अनुज कुमार सिंह नियोजित सेवानिवृत्त, कनीय अभियंता (संविदा) से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी है।

संदर्भित मामले में दिनांक 10.12.2024 में की गयी सुनवाई में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय को 1st on A/C Bill में स्वीकृत आरेखन पर संवेदक द्वारा जितना कार्य किया गया तथा आरेखन से हटकर जो कार्य किया गया। दोनो कार्य का अलग–अलग राशि की गणना कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था।

उक्त निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक 1642 दिनांक 12.12.2024 द्वारा 1st on A/C Bill में 327 मी0 लम्बाई में परिवर्तित आरेखन पर मापी पुस्त में दर्ज मदो के राशि की गणना तालिका संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार परिवर्तित आरेखन पर मापी पुस्त में दर्ज मदो की कुल राशि ₹4,91,478/– (चार लाख इक्यानवे हजार चार सौ अठहत्तर रूपये) मात्र है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि स्वीकृत आरेखन पर किये गये कार्यो का भुगतान संवेदक को किया जा चुका है। बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के परिवर्तित आरेखन पर किये गये कार्य का भुगतान विभाग द्वारा किया जाना नियमसंगत नहीं है। परिवर्तित आरेखन पर किये गये कार्य से संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त उनपर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में समानुपातिक रूप से उनके वेतन/पेंशन से संवेदक को भुगतान करने की कार्रवाई की जाय।

तदनुसार वाद निष्पादित

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–02–236/2024 /पटना, दिनांक

निबंधित — प्रतिलिपिः– संवेदक श्री जितेन्द्र सिंह, पिता–रामाकान्त सिंह, पता–ग्राम–बिहट खेमकरणपुर, पी0ओ0–बिहट, थाना–बरौनी, जिला–बेगूसराय, बिहार, पिन कोड–851129 को सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि में सभी साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(इफ्तेखार अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–236/2024 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव (निगरानी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–236/2024 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, MMGSY (SC), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–236/2024 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2024

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–236/2024 8421 /पटना, दिनांक– 23.12.24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2024

सरकार के उप सचिव